


18.06.2024 पत्रावली पेश हुई।

प्राची एवं अधिवक्ता प्राची अनुपस्थित।
रुक-रुक कर तीन बार आवाज लगाई
गई, बावजूद इसके कोई उपस्थित नहीं।
इससे प्रतीत होता है कि प्राची एवं
अधिवक्ता प्राची अपने प्राचीन-पत्र के लेकर
गम्भीर नहीं हैं अतः प्राचीन-पत्र अदम
हार्जरी अदम परबे इति स्तर पर खारिज
किया जाता है।

पत्रावली फैसल शुभार
लेकर नक्कर से कम की जाकर दाखिल
रफ्तार हो।


सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्टट्रेक) सांचौर